13.5.22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, प्रतिवादीगण 18, 19, 20, 29, 30 को कितनी मर्तबा रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 17, 21 लगायत 28 व 1 2 3 4 के जवाब हेतु नियत दिनांक 27.5.22 को पेश हो।

27.5.22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 23.6.22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

23.6.22 उभय पक्ष ... पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 28.7.22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29.6.22 वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई, प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र मे वादी ने निवेदन किया कि प्रकरण मे वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ आगे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप फरमाया जावे। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया, न्यायहित मे वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं वादी द्वारा प्रकरण मे प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा